-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2019 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2019 में थाना कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 23.04.2019 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत काशीराम कॉलोनी में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक चोटों के कारण मृत्यु होना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी उ0नि0 नरेश चन्द्र निगम की तहरीर पर दिनांक 18.05.2019 को थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 303/19 धारा 302/201 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री बलजीत सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्त को दिनांक 26.05.2019 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ चीपू को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. पुष्पेन्द्र उर्फ चीपू पुत्र सत्यनारायण निवासी काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।